



2026:AHC: 3881

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19539 वर्ष 2025

अमजद अली

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अश्वनी कुमार यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार यादव और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका में की गई एकमात्र प्रार्थना द्वितीय प्रतिवादी, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ.प्र. अनुभाग-12, लखनऊ को याचिकाकर्ता के बलिया से लखीमपुर खीरी के पारस्परिक स्थानांतरण पर विचार करने हेतु निर्देश देने के लिए है।

3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर द्वितीय प्रतिवादी, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ.प्र. अनुभाग-12, लखनऊ द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है और रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह 22.01.2026 तक द्वितीय प्रतिवादी, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ.प्र. अनुभाग-12, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, द्वितीय प्रतिवादी तीन महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

7 जनवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।